अध्याय 2 (मैन्युअल - (1) बी-XV)

सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विशिष्टताएं, जिनमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के, यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित है तो, कार्यकरण घंटे सम्मिलित है

(The particulars of facilities available to citizens for obtaining information, including the working hours of a library or reading room, if maintained for public use)

विभाग की रियायती मूल्य पर स्थानीय ग्रामवासियों को वनोपज उपलब्ध कराने की निस्तार योजना का विवरण निस्तार पत्रिका द्वारा पंचायतों के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है। विभाग की योजनाओं तथा कार्य मों के संबंध में स्थानीय समाचार पत्र तथा अन्य संचार माध्यमों की सहायता से सामान्य जनता को अवगत कराने की व्यवस्था है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 लागू होने के साथ ही विभागीय गतिविधियों संबंधी सूचनाएं अधिनियम के प्रावधानों तथा मध्यप्रदेप्र सूचना का अधिकार फिीस तथा अपीलक्रनियम, 2005 के अनुसार उपलब्ध कराने के लिये विभाग में मुख्यालय तथा क्षेत्रीय स्तर पर व्यवस्था की गई है।

वन विभाग द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी

1 **ग्रामीणों को निस्तार सुविधाएं** - प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में शासकीय वनों से निस्तार सुविधाएं उपलब्ध करवाना।

योजना का स्वरूप और कार्यक्षेत्र -

4. निस्तार नीति में रियायत की सुविधा वनों की सीमा से 5 किलोमीटर की परिधि के ग्रामों को होती है। इन ग्रामों को उपलब्धता के आधार पर वनोपज का प्रदाय वन समितियों के माध्यम से किया जाता है। जिन ग्रामों में वन समिति गठित नहीं हैं, वहां विभागीय निस्तार डिपो से वनोपज का प्रदाय किया जाता है।

(क) नगर निगम नगर पालिका एवं पंचायत क्षेत्र चाहे वे वन सीमा के पांच किलोमीटर की परिधि में या उनके बाहर स्थित हों, में वन विभाग वनोपज प्रदाय की कोई व्यवस्था नहीं करेगा। इन क्षेत्रों के निवासी स्थानीय बाजार से ही वनोपज प्राप्त करेंगे।

(ख) पांच किलोमीटर की परिधि के बाहर स्थित ग्रामों को निस्तार के अंतर्गत कोई रियायत प्राप्त नहीं होगी, परन्तु उपलब्धता के आधार पर पूर्ण बाजार मूल्य पर इन ग्रामों के ग्रामीणों को ग्राम पंचायत के माध्यम से वनोपज उपलब्ध कराई जा सकेगी।

(ग) वनों से स्वयं के उपयोग के लिये अथवा बिक्री के लिये सिरबोझ द्वारा उपलब्धता अनुसार गिरी, पड़ी, मरी, सूखी, जलाऊ लकड़ी ले जाने की सुविधा पूर्ववत् रहेगी।

5. संयुक्त वन प्रबंधन के अंतर्गत गठित समिति के परिवारों को प्रति वर्ष उपलब्धतानुसार केवल विदोहन व्यय लेते हुए रॉयल्टी मुक्त निस्तार की पात्रता है, इसके तहत यदि किसी समिति के क्षेत्र में उत्पादन होता है, तो ही सदस्य को रॉयल्टी मुक्त निस्तार की पात्रता होगी। इसी प्रकार किसी क्षेत्र से उत्पादित वनोपज किसी अन्य समिति को दी जाती है तो उस पर रॉयल्टी देय होगी।

दाह संस्कार की व्यवस्था -

दाह संस्कार के लिए जलाऊ लकड़ी विश्राम घाटों पर प्रचलित बाजार दर का 80 प्रतिशत पर फुटकर विक्रेताओं को उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है।

जलाऊ लकड़ी -

(क) राज्य के समस्त आरक्षित एवं संरक्षित वनों से ग्रामीण गिरी-पड़ी, मरी, सूखी, जलाऊ लकड़ी स्वयं के उपयोग हेतु एवं बिक्री हेतु सिरबोझ से निःशुल्क ला सकते हैं।

(ख) उपलब्धता के आधार पर ग्रामीण अपने वास्तविक निस्तार के लिए निर्धारित दर पर जलाऊ चट्टे तक उपलब्धता के आधार पर दिये जा सकते हैं। एक ग्रामीण परिवार को वर्ष में अधिकतम दो चट्टे तक उपलब्धता के आधार पर दिये जा सकते हैं। उक्त चट्टों का परिवहन केवल बैलगाड़ी अथवा भैंसागाड़ी से

किया जा सकेगा। कुछ ग्रामीणों को उपरोक्त चट्टे महँगे होने के कारण वन समिति सदस्यों को कूप से निस्तारी जलाऊ लकड़ी प्रदाय बैलगाड़ी अथवा ट्रैक्टर ट्रॉली से स्वयं चट्टा बनाकर लाने की सुविधा वर्ष 2007 से दी गई है। उपरोक्तानुसार प्राप्त किये जाने वाले चट्टों के लिए प्रति चट्टा मात्रा विदोहन मूल्य (आधा मानव दिवसस) वसूला जायेगा। ऐसे कूपों की सूची संबंधित वनमंडलाधिकारियों द्वारा प्रकाशित निस्तार पुस्तिका में दी जाती है।

(ग) कूपों के अलावा कुछ नाभिकीय जलाऊ डिपो भी स्थापित किये जावेंगे जहाँ के संलग्न ग्रामीण अपने वास्तविक निस्तार के लिए पंचायत के प्रमाण-पत्र पर अधिकतम दो चट्टे तक प्राप्त कर सकते हैं। इन चट्टों का केवल परिवहन बैलगाड़ी अथवा भैंसागाडी द्वारा किया जा सकेगा। ऐसे नाभिकीय डिपो से संलग्न ग्रामों की सूची संबंधित वनमंडलाधिकारियों द्वारा प्रकाशित निस्तार पुस्तिका में दी जाती है।

(घ) वनों से पांच किलोमीटर की परिधि के बाहर स्थित ग्रामों की ग्राम पंचायतें उनकी आवश्यकतानुसार बाजार दर पर निर्धारित डिपों से जलाऊ लकड़ी प्राप्त कर अपने ग्रामीणों को उपलब्ध करा सकती हैं। इन डिपो की सूची संबंधित वनमंडलाधिकारियों द्वारा प्रकाशित निस्तार पुस्तिका में दी जाती है A

बल्ली -

(क) वनों की सीमा से पांच किलोमीटर की परिधि में स्थित ग्रामों को निस्तार दर पर निर्धारित डिपो से बल्ली उपलब्ध कराई जायेगी। कृषि उपकरण योग्य लकड़ी में बल्ली शामिल रहेगी। एक परिवार को एक सीजन में उपलब्धता के आधार पर अधिकतम 10 बल्ली तक उपलब्ध कराई जावेगी। ऐसे निस्तार डिपो की सूची संबंधित वनमंडलाधिकारियों द्वारा प्रकाशित निस्तार पुस्तिका में दी जाती है।

(ख) वनों से पांच किलोमीटर की परिधि के बाहर स्थित ग्रामों के निवासी अपनी पंचायतों के माध्यम से केन्द्रीय डिपों से बल्लियां प्राप्त कर सकते हैं। बल्ली की बिक्री दर की सूची संबंधित वनमंडलों अधिकारियों द्वारा प्रकाशित निस्तार पुस्तिका में दी जाती हैं।

बांस -

(क) वनों से पांच किलोमीटर की परिधि में स्थित ग्रामीण क्षेत्र के निवासी प्रति वर्ष अधिकतम 250 नग बांस उपलब्धता के आधार पर निस्तार डिपो से प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे डिपों से संलग्न ग्रामों की सूची संबंधित वनमंडलाधिकारियों द्वारा प्रकाशित निस्तार पुस्तिका में दी जाती है।

(ख) प्रत्येक बंसोड़ परिवार को प्रति वर्ष उपलब्धता के आधार पर एक हजार 500 नग तक बांस प्रदाय किये जाने का प्रावधान है। ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में रहने वाले सभी बंसोड़ परिवारों को प्रदाय किये जाने वाले बांस पर राॅयल्टी माफ की गई है। इसी प्रकार बंसोड़ जाति के समान बुरड़, बंसोड़, बासोड़ी, बासफोर, बसोर एवं माँग जाति तथा उनकी उपजातियों के परिवारों को भी प्रदाय किये जाने वाले बांस पर रॉयल्टी माफ की गई है।

2. मालिक मकबूजा प्रकरण में भुगतान -

उद्देश्य : स्वयं की भूमि (मालिक मकबूजा) से प्राप्त काष्ठ के मूल्य का भुगतान भूमि स्वामी को किया जाता है।

पात्रता की शर्तें : मालिक-मकबूजा प्रकरणों में भुगतान के लिए आवश्यक शर्तें निम्नानुसार हैं:-

1. आवेदक की काष्ठ शासकीय काष्ठागार में आमद हो चुकी हो।
2. पृथक लॉट बनाकर विक्रय के विकल्प की स्थिति में विक्रय मूल्य की पूर्ण वसूली हो चुकी हो।

वर्तमान में म.प्र. लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 के तहत मालिक मकबूजा प्रकरण में भुगतान की निर्धारित समयावधि निम्नानुसार है:-

1. शासकीय दर पर काष्ठ विक्रय का विकल्प चुने जाने की स्थिति में डिपो में काष्ठ प्राप्त होने की दिनांक से 45 कार्य दिवसस
2. पृथक लॉट बनाकर विक्रय का विकल्प चुने जाने की स्थिति में, विक्रय मूल्य की पूर्ण वसूली होने के दिनांक से 30 कार्य दिवसस।

संपर्क: मालिक मकबूजा प्रकरण में भुगतान प्राप्त करने के लिए आवश्यक दस्तावेजों सहित आवेदन वन मण्डल अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

3. वन्यप्राणियों द्वारा जन हानि करने पर क्षतिपूर्ति -

उद्देश्य: वन्य जीवों द्वारा जन हानि किये जाने पर मृत व्यक्ति के परिवार को राहत राशि उपलब्ध कराना।

वन्यप्राणी द्वारा जनहानि करने पर क्षतिपूर्ति की जानकारी मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग के आदेश क्रमांक/एफ 15-13/2007/10-2, दिनांक 29 अप्रैल, 2016 के अनुसार निम्नानुसार है:-

क्र.	वन्यप्राणियों द्वारा की जाने वाली हानि	क्षतिपूर्ति राशि
1.	जनहानि (मृत्यु होने पर वैधानिक उत्तराधिकारी को)	रूपये 8,00,000 (रूपये आठ लाख) मात्र एवं व्यक्ति की मृत्यु यदि घायल किये जाने के पश्चात इलाज के दौरान हुई हो तो इलाज पर हुआ वास्तविक व्यय।
2.	स्थायी अपंगता होने पर	रूपये 2,00,000 (रूपये दो लाख) मात्र एवं इलाज पर हुआ वास्तविक व्यय तथा अस्पताल में भर्ती होने की अवस्था में अतिरिक्त रूप में रूपये 500/- प्रतिदिन (अस्पताल में भर्ती रहने की अवधि हेतु) (अधिकतम सीमा रू. 50,000/- (रूपये पचास हजार) तक होगी)
3.	घायल होने पर	घायल व्यक्ति के इलाज पर हुआ वास्तविक व्यय तथा अस्पताल में भर्ती होने की अवस्था में अतिरिक्त रूप में रूपये 500/- प्रतिदिन (अस्पताल में भर्ती रहने की अवधि हेतु) (अधिकतम सीमा रूपये 50,000/- (रूपये पचास हजार) तक होगी)

विशेष: सादे आवेदन में घटना की लिखित जानकारी तत्काल समीपस्थ वन अधिकारी को देना अनिवार्य है।

4. वन्यप्राणियों द्वारा निजी मवेशी/ पशुओं के मारे जाने पर सहायता -

योजना का स्वरूप और कार्य क्षेत्र: वन्यप्राणी द्वारा पशु हानि करने पर राजस्व पुस्तक परिपत्र में वर्तमान में प्रचलित निम्न दरों के अनुसार भुगतान किया जाता हैं -

क्र.	पशुहानि के लिए	क्षतिपूर्ति राशि
1	**दुधारू पशु** (क) भैंस/गाय/ऊंट/याक/मिथुन आदि (ख) भेड़/ बकरी	 30,000 (रुपये तीस हजार) 3,000 (रुपये तीन हजार)
2	**गैर दुधारू पशु** (क) बैल/ भैंसा/ ऊंट /घोड़ा आदि (ख) बछड़ा - (गाय/भैंस)/गधा/ पोनी/ खच्चर (ग) बच्चा - घोड़ा/ ऊंट	 25,000 (रुपये पच्चीस हजार) 16,000 (रुपये सोलह हजार) 10,000 (रुपये दस हजार)
3	सुअर	3,000 (रुपये तीन हजार)
4	बच्चा- सुअर, भेड़, बकरी, गधा	250/- (रूपये दो सौ पचास)

टीप - वन्यप्राणियों से पशु घायल के प्रकरणों में राजस्व पुस्तक परिपत्र की वर्तमान दरों की 50 प्रतिशत तक क्षतिपूर्ति राशि दी जाती है।

योजना क्रियान्वयन की प्रक्रिया : सहायता पाने के लिये यह आवश्यक है कि -

1. निजी पशु मारे जाने पर सूचना समीप के वन अधिकारी को घटना के 48 घंटे के अंदर दी गई हो।
2. मारे गये मवेशी/पशु को मारे गये स्थान से नहीं हटाया गया हो। वर्तमान में म.प्र. लोक सेवाओं के प्रदान की गांरटी अधिनियम, 2010 के तहत वन्य प्राणियों से पशु हानि हेतु राहत राशि के भुगतान की निर्धारित समयावधि आवेदन दिनांक से तीस कार्य दिवसस है।

संपर्क: प्रकरण की सूचना मालिक द्वारा निकटतम वन अधिकारी (परिक्षेत्राधिकारी) को दी जानी चाहिए।

5. संयुक्त वन प्रबंधन

संयुक्त वन प्रबंध समितियों को लाभांश वितरण -

मध्य प्रदेश वन विभाग के अंतर्गत वर्तमान में 15,608 संयुक्त वन प्रबंध समितियां गठित होकर कार्यरत है। इन समितियों के माध्यम से कुल 79,704 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र की सुरक्षा के कार्य कराये जा रहे हैं। प्रदेश के वनों में रहने वाले निवासियों को वनोपज का पहला अधिकार इन्ही समितियों का मानते हुए शासन द्वारा प्रत्येक वर्ष काष्ठ एवं बांस के लाभांश का वितरण किया जाता है। इसके अंतर्गत काष्ठ कूपों के विदोहन से प्राप्त होने वाली काष्ठ की बिक्री से प्राप्त राजस्व का 20 प्रतिशत राशि वन समितियों को देने का प्रावधान है। बांस के लाभ की शत-प्रतिशत राशि कटाई में संलग्न श्रमिकों को वितरण की व्यवस्था है।

6. शहीद अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार -

राज्य शासन द्वारा वर्ष 2001 से प्रत्येक वर्ष वन एवं वन्य प्राणियों की रक्षा में किए गए विशिष्ट कार्यो हेतु शासकीय एवं अशासकीय सदस्यों को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के संशोधित आदेश द्वारा वर्ष 2006 से निम्न श्रेणियों में पुरस्कृत करने का प्रावधान है -

क्र.	पुरस्कार वर्ग	कार्य क्षेत्र	पुरस्कार
1	संस्थागत - ग्राम पंचायत, संयुक्त वन प्रबंध के अंतर्गत गठित समितियां, आशासकीय स्वयंसेवी संस्थान	वन रक्षा एवं वन संवर्धन में उत्कृष्ट कार्य	एक लाख रुपये नकद तथा प्रशास्ति पत्र
2	व्यक्तिगत (अशासकीय)	वन रक्षा एवं वन संवर्धन में उत्कृष्ट कार्य	पचास हजार रुपये तथा प्रशस्ति-पत्र
3	व्यक्तिगत (अशासकीय)	वन्य प्राणियों की रक्षा में उल्लेखनीय कार्य (अदम्य साहस एवं सूझबूझ का प्रदर्शन)	पचास हजार रुपये तथा प्रशस्ति-पत्र
4	व्यक्तिगत (अशासकीय)	वन रक्षा एवं वन संवर्धन में उत्कृष्ट कार्य	पचास हजार रुपये तथा प्रशस्ति-पत्र
5	व्यक्तिगत (अशासकीय)	वन्य प्राणियों की रक्षा में उल्लेखनीय कार्य (अदम्य साहस एवं सूझबूझ का प्रदर्शन)	पचास हजार रुपये तथा प्रशस्ति-पत्र

7. बसामन मामा स्मृति वन एवं वन्यप्राणी संरक्षण पुरस्कार :

मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग द्वारा मध्यप्रदेश एवं विंध्य क्षेत्र में वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण के क्षेत्र में प्रदर्शित की गई शूरवीरता तथा निजी भूमि में वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने हेतु शासकीय अधिकारियों/ कर्मचारियों, अशासकीय व्यक्तियों/ संस्था/ समितियों को पुरस्कृत करने के लिये दो श्रेणियों में निम्नानुसार "बसामन मामा स्मृति पुरस्कार" वर्ष 2009 से संस्थापित किया गया है।

1. विन्ध्य क्षेत्र स्तरीय पुरस्कार (वन एवं वन्य प्राणी संरक्षण हेतु)		
पुरस्कार वर्ग		पुरस्कार
(क) शासकीय अधिकारियों/ कर्मचारियों हेतु 1. प्रथम पुरस्कार 2. द्वितीय पुरस्कार 3. तृतीय पुरस्कार	**(ख) अशासकीय व्यक्तियों हेतु** 1. प्रथम पुरस्कार 2. द्वितीय पुरस्कार 3. तृतीय पुरस्कार	दो लाख रुपये तथा प्रशस्ति-पत्र एक लाख रुपये तथा प्रशस्ति-पत्र पचास हजार रुपये तथा प्रशस्ति-पत्र

2. राज्य स्तरीय वन संवर्धन पुरस्कार (निजी भूमि में वृक्षारोपण हेतु)		
पुरस्कार वर्ग		पुरस्कार
(क) राज्य के अंतर्गत पांच हेक्टेयर से अधिक 1. प्रथम पुरस्कार 2. द्वितीय पुरस्कार 3. तृतीय पुरस्कार	**(ख) राज्य के अंतर्गत पांच हेक्टेयर से कम** 1. प्रथम पुरस्कार 2. द्वितीय पुरस्कार 3. तृतीय पुरस्कार	दो लाख रुपये तथा प्रशस्ति-पत्र एक लाख रुपये तथा प्रशस्ति-पत्र पचास हजार रुपये तथा प्रशस्ति-पत्र

8. लोक वानिकी के माध्यम से ग्रामीणों और पंचायतों की आय -

उद्देश्य - निजी तथा राजस्व भूमि पर खड़े वनों तथा पड़ती भूमि की उत्पादकता बढ़ाकर भूमि स्वामियों और पंचायतों को नियमित आय सुनिश्चित करवाना।

पात्र हितग्राही -

1. निजी भूमि पर खड़े वनों/ वृक्ष आच्छादित क्षेत्रों, पड़ती भूमि का वैज्ञानिक प्रबंधन करने के इच्छुक भूमि स्वामी।
2. जिन पंचायतों के क्षेत्र में राजस्व विभाग के बड़े झाड़-छोटे झाड़ के जंगल/ पड़ती जमीन हो और उस पर वानिकी विकास करने के इच्छुक ग्राम पंचायतें।

योजना क्रियान्वयन की प्रक्रिया - योजना का क्रियान्वयन वन विभाग और राजस्व विभाग के सहयोग से किया जाता है। वन विभाग क्रियान्वयन में नोडल भूमिका निभाता है।

संपर्क - वन मंडलाधिकारी (क्षेत्रीय) से संपर्क किया जा सकता है।

9. ग्रीन इंडिया मिशन -

उद्देश्य - वनों का सुधार एवं पुनरूद्धार के साथ-साथ वन आश्रित स्थानीय समुदाय को वैकल्पिक एवं वन आधारित आजीविका के साधन उपलब्ध कराना एवं उनकी क्षमता विकास के साथ के अवसर उपलब्ध करवाना है।यह योजना मध्यप्रदेश के 20 वनमंडलों में संचालित है जो इस प्रकार है - सतना, उमरिया, दक्षिण बालाघाट, होशंगाबाद, दक्षिण सिवनी, उत्तर बैतूल, पश्चिम बैतूल, रायसेन, औबेदुल्लांगज, सीहोर,धार, झाबुआ, बडवानी, सेंधवा, बुरहानपुर, दक्षिण सागर, दक्षिण पन्ना, श्योपुर तथा शिवपुरी।

पात्र हितग्राही :- योजना का मूल उद्देश्य वृक्षारोपण है। वृक्षारोपण क्षेत्र के पास के ग्रामो के ग्रामीण युवाओ के कौशल उन्न्यन हेतु प्रशिक्षण आयोजित किये जाते है। प्रत्येक प्रशिक्षण हेतु पात्रता पृथक-पृथक होती है जो कि नेशनल स्कील क्वालीफिकेशन फ्रेमवर्क (NSQF) द्वारा निर्धारित पात्रता के अनुरूप होती है।

योजना क्रियावंयन की प्रकिया - उपचार क्षेत्र के आस पास के युवाओं के प्रशिक्षण हेतु चयन के लिए परिक्षेत्र/ बीट स्तरीय वनकर्मियों द्वारा ग्रामवार प्रशिक्षण आवश्यकता मूल्यांकन (training Need Assessment) किया जाता है। जिसके उपरांत युवा हितग्राहियों की रूचि अनुसार विभिन्न विधाओं की सूची तैयार का वनमंडल स्तर पर प्रशिक्षण प्रदाताओं से प्रशिक्षण प्रस्ताव मंगवाए जाते हैं। चयनित प्रशिक्षण एजेंसी द्वारा परिक्षेत्र/ बीट स्तरीय वनकर्मियों के सहयोग से युवा प्रशिक्षुओं का चयन कर प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

संपर्क :- योजना मे सम्मलित वन मंडलों के वनमंडलाधिकारी (क्षेत्रीय) से संपर्क किया जा सकता है।

10. तेंदूपत्ता संग्राहकों को प्रोत्साहन पारिश्रमिक का भुगतान -

प्रदेश में लघु वनोपज व्यवसाय से होने वाली संपूर्ण शुद्ध आय प्राथमिक सहकारी समितियों को उपलब्ध कराई जा रही है। इस शुद्ध आय का 75 प्रतिशत भाग संग्राहकों को, उनके द्वारा संग्रहित मात्रा के अनुपात में प्रोत्साहन पारिश्रमिक के रूप में नकद भुगतान करने का प्रावधान है।

पात्रता - समस्त तेंदूपत्ता संग्राहक।

सम्पर्क - संबधित लघु वनोपज समिति।

एकलव्य शिक्षा विकास योजना -

योजना : वनोपज संघ की कल्याणकारी योजनाओं की श्रृंखला में एक नई कड़ी के रूप में एकलव्य वनवासी शिक्षा विकास योजना प्रारंभ की जा रही है।

उद्देश्य : इस योजना को प्रारंभ करने का उद्देश्य वन क्षेत्रों में निवास करने वाले तेंदूपत्ता संग्राहकों के बच्चों की शिक्षा की ऐसी व्यवस्था करना है, जिससे तेंदूपत्ता संग्राहकों के होनहार बच्चे धनाभाव के कारण उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित नहीं रह जाएं।

पात्र : तेंदूपत्ता संग्राहकों, फड़ मुंशियों एवं वनोपज समितियों के प्रबंधकों के बच्चों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु उत्कृष्ट शिक्षण संस्थानों में उनके प्रवेश करवाकर शिक्षा का व्यय वनोपज संघ द्वारा वहन किया जाए ताकि वनवासी परिवारों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके।

स्वरूप : योजना के मुख्य बिन्दु निम्नानुसार हैं:-

1. इस योजना का लाभ प्रदेश के तेंदूपत्ता संग्राहाकों, फड़ मुंशियों एवं वनोपज समितियों एवं प्राथमिक वनोपज समितियों के प्रबंधकों के बच्चों को प्राप्त हो सकेगा। संग्राहक के लिए यह आवश्यक है कि इन पाँच वर्षों में कम से कम तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष उनके द्वारा न्यूनतम एक मानक बोरा तेंदूपत्ता का संग्रहण किया गया हो। फड़ मुंशी एवं समिति प्रबंधक द्वारा कम से कम तीन वर्षों में तेंदूपत्ता सीजन में कार्य किया गया हो।
2. इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु उन्हीं बच्चों के प्रकरणों पर विचार किया जायेगा, जिन्होंने पिछले शिक्षा सत्र में कम से कम 60 प्रतिशत अंक अथवा समकक्ष ग्रेड अर्जित किया हो।
3. इस योजना में कक्षा 9 से 12 तक एवं स्नातक स्तर की शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चों को प्रावीण्य सूची के आधार पर शामिल किया जायेगा।
4. इस योजना के अंतर्गत चयनित छात्र-छात्राओं को शिक्षण शुल्क, पाठ्ंक्रम हेतु निर्धारित पुस्तकों के क्रय में होने वाला व्यय, छात्रावास में ठहरने एवं भोजन पर व्यय तथा वर्ष में एक बार अपने घर जाने एवं वापस शिक्षण स्थल तक आने हेतु निकटतम मार्ग से रेल में स्लीपर क्लास अथवा साधारण श्रेणी का बस किराये पर यात्रा व्यय मिलने की पात्रता होगी। छात्र-छात्राओं को मिलने वाली कुल सहायता की वार्षिक सीमा निम्नानुसार होगी।
    1. कक्षा 9वीं एवं 10वीं के छात्रों को 12,000 रुपये।
    2. कक्षा 11वीं एवं 12वीं के छात्रों को 15,000 रुपये
    3. गैर तकनीकी स्नातक छात्रों को 20,000 रुपये।
    4. व्यावसायिक कोर्स के छात्रों को 50,000 रुपये।
5. यदि चयनित छात्र-छात्राओं को केन्द्रीय/ राज्य शासन अथवा किसी भी अन्य संस्थान आदि से किसी अन्य योजना के अंतर्गत कोई छात्रवृत्ति अथवा सहायता प्राप्त हो रही है, तो वनोपज संघ द्वारा इस योजना के अंतर्गत दी जाने वाली सहायता में उसे प्राप्त हो रही राशि की सीमा तक कम की जा सकती है।
6. योजना के अंतर्गत चयनित छात्र छात्राओं को निरंतर न्यूनतम 60 प्रतिशत अथवा समकक्ष ग्रेड प्राप्त करना होगा। यदि किसी अप्रत्याशित परिस्थितिवश किसी चयनित छात्र-छात्रा का प्रदर्शन उससे नीचे जाता है तो उसके द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने के उपरांत उसे अपने प्रदर्शन में सुधार लाने के लिये अधिकतम एक अवसर प्रदान किया जा सकेगा।
7. उपरोक्त पैरा छह के अध्यधीन रहते हुए इस योजना के अंतर्गत सहायता नवीं कक्षा या उसके बाद की कक्षाओं में अध्ययन हेतु तब तक दी जायेगी जब तक कि संबंधित छात्र-छात्रा का प्रदर्शन निर्धारित न्यूनतम स्तर से ऊपर का रहता है।
8. इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष संघ के संचालक मंडल द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता के लिए बजट की राशि निर्धारित की जायेगी। इस स्वीकृत बजट राशि के अंतर्गत श्रेष्ठता क्रम में चयनित छात्र-छात्राओं को इस योजना का लाभ मिल सकेगा।

9. इस योजना के अंतर्गत किसी वर्ष के लिए उपलब्ध बजट की 50 प्रतिशत राशि कक्षा नवीं से बारहवीं तक की कक्षा के लिए तथा शेष 50 प्रतिशत राशि स्नातक स्तर की शिक्षा के लिए व्यय हेतु उपलब्ध हो सकेगी।
10. इस योजना के अंतर्गत प्रवीणता के आधार पर छात्र-छात्राओं के चयन हेतु सूची राज्य स्तर पर लघु वनोपज संघ द्वारा तैयार की जायेगी।

....